संख्या-398/2025/482/2025/27-2002-111-2025-2

प्रेषक,

आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत मशीनरी एवं उपस्कर (टी0 एण्ड पी0) मद में उपलब्ध बजट व्यवस्था की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़), सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्र संख्या-492/काप्रअ/अनिबामं/यू-10/टी0 एण्ड पी0 दिनांक 01-04-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्न तालिका के कालम-3 में अंकित विवरण के मदों पर कालम-4 में बजट व्यवस्था के सापेक्ष कालम-5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94, लेखाशीर्षक-4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 052-मशीनरी तथा उपस्कर मदों (टी0 एण्ड पी0) के अन्तर्गत उपलब्ध कुल बजट व्यवस्था (नई श्रेणी) रू0 20,00,00,000.00 (रू0 बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	टी0 एण्ड पी0			वित्तीय वर्ष 2025 -26 के आय-व्ययक में बजट व्यवस्था (नई से)	स्वीकृत धनराशि (नई से)
1	2	3			4	5
01- बाढ़ नियंत्रण						
052-मशीनरी एवं उपस्कर						
(क)	94-4711-01-052-03-26	(नवीन सम्पूर्ति)	-	26 मशीने एवं सज्जा/उपकरण और संयत्र	800.00	800.00
(ख)	94-4711-01-052-04-26	(मरम्मत)	-	26 मशीने एवं सज्जा/उपकरण और संयत्र	400.00	400.00
(ग)	94-4711-01-052-05-26	(गाड़ी भाड़ा)	-	26 मशीने एवं सज्जा/उपकरण और संयत्र	800.00	800.00
				योग	**2000.00**	**2000.00**

(रू0 बीस करोड़ मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

(1) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन के सम्बन्धित अनुभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए। इन परियोजनाओं पर किसी अन्य मद से यदि धनराशि प्राप्त हुई हो तो उसका समायोजन कर लिया जाएगा तथा स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा।

(6) निर्माण कार्यो पर व्यय करने के पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जायेगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यत: प्राप्त की जाएगी।

(7) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समकक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(8) वित्त विभाग के आदेशों को संज्ञान में लेते हुए अवमुक्त धनराशि के व्यय का माहवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए, जिसमें यथा सम्भव समानुपातिक आधार पर व्यय की व्यवस्था हो। तद्नुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। परियोजनाओं की लागत में टाईम ओवर रन/कास्टओवर रन विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(9) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-2 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए।

(10) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।

(11) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(12) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार समानुपातिक किश्तों में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाए।

(13) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 तथा श्रम अनु0-2 के शासनादेश सं0-1666/36-2-2010, दि0 05.12.2010 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तो के अन्तर्गत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय को आगणन में सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को जोड़कर संबंधित लेखाशीर्षकों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(14) कार्य की विशिष्टियॉ मानक/गुणवत्ता तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा हो।

(15) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(17) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।

(18) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(19) प्रमुख अभियन्ता सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को धनराशि आवंटित करेंगे। किसी भी दशा में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।

(20) प्रमुख अभियन्ता आवंटित धनराशि की सूचना 10 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे।

(21) प्रमुख अभियन्ता द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(22) प्रमुख अभियन्ता द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि अध्याप्ति हेतु अनुमोदित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(23) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्याः 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांकः 27 मार्च 2025 द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(24) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(25) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना का बार चार्ट तथा पाई चार्ट तैयार कराएंगे तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का माहवार चार्ट बनाकर विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(26) प्रत्येक आवंटन हेतु अनु0 सं0-94 के अन्तर्गत मद का उपभोग करने वाले खण्ड के अधिशासी अभियन्ता अपनी मांग, प्रपत्र-1 (संलग्न) पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को उपलब्ध करायेंगे। इसी मांग पत्र पर पूर्व में प्राप्त आवंटन तथा उसके सापेक्ष अवशेष का विवरण तथा बी0एम0-8 संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा। इस प्रपत्र के साथ गणना शीट भी संलग्न की जायेगी। खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित मांग के सापेक्ष सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मांग के औचित्य के दृष्टिगत अपनी संस्तुति उक्त प्रपत्र-1 पर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-2 को प्रेषित किया जायेगा।

(27) अधीक्षण अभियन्ता से प्रपत्र-1 पर प्राप्त मांग के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2 द्वारा प्रपत्र-2(संलग्न) पर मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(28) अनुदान संख्या-94 मद में सम्बन्धित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता की प्रत्येक खण्ड के अधिशासी अभियन्ता की मांग पर आवश्यकता तथा प्राथमिकता के आधार पर आवंटन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा आवंटन की आनलाईन फीडिंग की जायेगी। कार्यालय ज्ञाप की एक प्रति कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रेषित की जायेगी, जिसे विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

(29) प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता आवंटित धनराशि का मदवार व्यय का विवरण लेखा परीक्षा हेतु सदैव तैयार रखेंगे तथा नियमानुसार इस मद हेतु कैश बुक का रख-रखाव किया जायेगा तथा बिल वाउचर्स की प्रति भी संरक्षित की जायेगी।

(30) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 का यह दायित्व होगा कि निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का खण्ड को आवंटित/व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण समय-समय पर शासन को उपलब्ध कराया जाये।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के अन्तर्गत इस आदेश के प्रस्तर-2 की सारिणी के कालम सं0- 2 व 3 में अंकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-8-120-X-2025-26, दिनांक- 03-07-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः- प्रपत्र-1 व 2

भवदीय,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0(बाढ़) , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(8) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(9) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(10) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(11) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(12) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(13) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http:// shasanadesh.up.gov.in

प्रपत्र-1

अनुदान संख्या-94, लेखाशीर्षक-4711 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु धन की मांग

लेखाशीर्षक- 4711-01-052-03-26 (नवीन सम्पूर्ति), 4711-01-052-04-26 (मरम्मत) एवं 4711-01-052-05-26 (गाड़ी भाड़ा)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	खण्ड का नाम	डी0डी0ओ0 कोड	कार्य का विवरण	खण्ड की मांग	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संस्तुति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1-						
2-						
3-						
				योग-:		

-ह0-

अधिशासी अभियन्ता

खण्ड.....

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता .....मण्डल.....

पत्रांक: .....दिनांक.....

मुख्य अभियन्ता, (संगठन) ..... को उक्त मांग संस्तुति सहित अग्रसारित है।

-ह0-

अधीक्षण अभियन्ता

खण्ड.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http:// shasanadesh.up.gov.in

नोटः- प्रत्येक लेखाशीर्षक के लिए पृथक-पृथक मांग पत्र प्रेषित किये जायेंगे।

प्रपत्र-2

अनुदान संख्या-94, लेखाशीर्षक-4711 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु धन की मांग

लेखाशीर्षक- 4711-01-052-03-26 (नवीन सम्पूर्ति), 4711-01-052-04-26 (मरम्मत) एवं 4711-01-052-05-26 (गाड़ी भाड़ा)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	खण्ड का नाम	डी0डी0ओ0कोड	जनपद का नाम	धन की मांग (लाख रू0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1-					
2-					
3-					
			योग-:		

-ह0-

मुख्य अभियन्ता

संगठन.....

नोटः- प्रत्येक लेखाशीर्षक के लिए पृथक-पृथक मांग पत्र प्रेषित किये जायेंगे।

http:// shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।